सूचना पत्रक

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 4000 सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) की भर्ती।

1– पद का नाम– सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा)– परिषदीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापन हेतु।

2– शैक्षिक अर्हता– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य उपाधि, जिसमें एक विषय के रूप में उर्दू रही हो। परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी जो उर्दू में उपर्युक्त अर्हता नहीं रखता है, नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि अभ्यर्थी उर्दू विषय में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो।

(ख)– सरकार द्वारा उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु लखनऊ, आगरा, मवाना जिला मेरठ और सकलडीहा जिला चन्दौली में स्थापित किन्हीं प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक केन्द्र से बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षण अर्हता या बेसिक अध्यापक प्रमाण पत्र (बी0टी0सी0), द्विवर्षीय बी0टी0सी0 (उर्दू) और उ0प्र0 सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

अथवा

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अध्यापन में डिप्लोमा (उर्दू अध्यापन हेतु) और उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

अथवा

दिनांक 11.08.1997 के पूर्व मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधि (उर्दू अध्यापक हेतु) और उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हो।

नोट– आवेदनकर्ता अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन में निर्धारित रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि को उपर्युक्त शैक्षिक अर्हता धारित होना अनिवार्य होगा।

3– राष्ट्रीयता एवं निवासः– ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो, तथा उत्तर प्रदेश में निरन्तर 05 वर्ष से निवास कर रहे हों। अभ्यर्थी का निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से पूर्व सम्बन्धित तहसील से निर्गत किया होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र चयन/सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

4– क– आरक्षणः– बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) में आरक्षण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–9 के अन्तर्गत निम्नवत प्राविधान उल्लिखित है–

अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो , अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिनियम और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार होगा।

ख– भूतपूर्व सैनिक(स्वयं)/विकलांग अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा। आरक्षित रिक्तियों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है।

5– **चरित्र**– सहायक अध्यापक (उर्दू अध्यापन हेतु) के पद पर चयन/नियुक्ति के लिए संघ सरकार या किसी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवायोजन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ नैतिक अधमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष–सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी को सत्यापन के समय चयन समिति के समक्ष रू0 10/– के नान जूडिशियल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6– **आवेदन हेतु पात्रताः**–

क– आयु– ऐसे मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारी अभ्यर्थी, जिन्होंने दिनांक 11.08.1997 से पूर्व ऐसी उपाधि प्राप्त कर ली हों, की आयु दिनांक 01 जुलाई, 2017 को किसी भी दशा में उच्चतम आयु सीमा अधिवर्षता की आयु (62 वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख– *अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से डिप्लोमा–इन–टीचिंग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों एवं द्विवर्षीय बी0टी0सी0 उर्दू प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों के लिए आयु 01 जुलाई 2017 को किसी भी दशा में 21 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

7– आवेदन की प्रकिया–

दिनांक 11.08.1997 के पूर्व मोअल्लिम–ए–उर्दू (उर्दू अध्यापन हेतु) अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अध्यापन में डिप्लोमा (उर्दू अध्यापन हेतु) अथवा द्विवर्षीय उर्दू बी0टी0सी0 उत्तीर्ण ***इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा जनपदों हेतु निर्धारित रिक्तियों के अवलोकनोपरान्त स्वतः लिये गये निर्णय के आधार पर सहायक अध्यापक (उर्दू अध्यापन हेतु) के पद पर प्रदेश के किसी एक प्रथम वरीयता जनपद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जायेगा। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर ही आवेदित जनपद में होने वाली प्रथम काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। प्रथम काउन्सिलिंग में अवसर न प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी प्रदेश के किसी भी अन्य जनपद में आयोजित होने वाले द्वितीय काउन्सिलिंग में अवशेष रिक्तियों के सापेक्ष प्रतिभाग कर सकेगा।***

(क) किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है।

(ख) इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट http://upbasiceduparishad.gov.in पर संगत सूचनाओं सहित किसी भी इच्छित प्रथम वरीयता जनपद में आनलाइन ई–आवेदन करना होगा।

(ग) अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित ई–आवेदन पत्र के प्रारुप में समस्त सूचनाएं देनी होगी, जिसमें आवेदन पत्र भरे जाने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना सम्भव नही होगा। त्रुटिपूर्ण सूचना देने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(घ) ई–आवेदन पत्र भरने हेतु प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा बहुप्रसारित दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक उर्दू का हो, विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जायेगा, जिसमें जनपद के रिक्तियों की संख्या, ई–आवेदन पत्र भरे जाने की समय सारिणी एवं वेबसाइट का पता भी निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ड.) अभ्यर्थियों को ई–आवेदन भरने हेतु सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ई–चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन ई–आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी सभी बैंकों

के ATM Cum Debit cards/ Credits Cards तथा SBI Internet Banking द्वारा भी आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(च) अभ्यर्थी द्वारा अपने ई–आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में रू0 10/– के नान जूडिशिएल स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र चयन समिति के समक्ष काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

8– आवेदन शुल्क–

क– सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता जनपद हेतु ई–आवेदन हेतु आवेदन शुल्क **सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रू0 500/– तथा विकलांग से भिन्न अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु रू0 200/–** निर्धारित होगा। सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम से ई–चालान द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद की स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जमा किया जाना होगा।

ख– विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

9– चयन समिति– अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (यथा संशोधित) में प्राविधानित निम्नलिखित गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी–

क– प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)–		**अध्यक्ष**
ख– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	–	**सदस्य सचिव**
ग– सम्बन्धित जनपद के मुख्यालय पर स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज के वरिष्ठतम प्रधानाचार्य।	–	**सदस्य**
घ– जिलाधिकारी (सम्बन्धित जनपद) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक भाषा विशेषज्ञ यथा स्थिति हिन्दी, उर्दू या अन्य भाषा	–	**सदस्य**

यदि उपर्युक्त रीति से गठित चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रुप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

उक्तवत गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

10– चयन प्रक्रिया–

क– अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) तथा चयनोंपरान्त अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवानियमावली 2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा। चयन/नियुक्ति हेतु वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्ट– 'क' में विद्यमान प्रक्रियानुसार तैयार किया जायेगा।

अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारण:–

परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
हाईस्कूल	अंको का प्रतिशत/10
इण्टरमीडिएट	अंको का प्रतिशत x 2/10
स्नातक उपाधि	अंको का प्रतिशत x 4/10

प्रशिक्षण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(क) सिद्धान्त	12	6	3
(ख) प्रयोगात्मक	12	6	3

ख– दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के ऐसे मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारी जिन्होंने जामियां उर्दू अलीगढ़ द्वारा संचालित अदीब–ए–माहिर तथा अदीब–ए–कामिल की परीक्षाएं दिनांक 11.08.1997 के पूर्व उत्तीर्ण की हैं, को क्रमशः इण्टरमीडिएट (उर्दू) तथा स्नातक (उर्दू) के समकक्ष मानते हुए उनके लिए गुणवत्ता अंक का निर्धारण किया जायेगा।

इसी प्रकार दिनांक 11.08.1997 के पूर्व के मोअल्लिम–ए–उर्दू उपाधिधारी अभ्यर्थियों के लिए गुणवत्ता अंक निर्धारण में अदीब, मुंशी (फारसी) एवं मौलवी (अरबी) उपाधि को हाईस्कूल तथा आलिम को इण्टरमीडिएट के समकक्ष माना जायेगा।

ग– चयन/नियुक्ति उपर्युक्त रीति से अवधारित मेरिट के अनुसार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ई–आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परिशिष्ट– क में विद्यमान प्रक्रियानुसार जनपद स्तरीय श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। तत्पश्चात वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार रिक्तियों के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

घ– अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। गुणवत्ता अंक तथा आयु दोनों समान होने पर अभ्यर्थी का चयन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जायेगा।

ङ.– उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत कर काउन्सिलिंग के माध्यम से उनके शैक्षिक अभिलेखों की जॉच कर मूल अभिलेखों को जमा करा लिया जायेगा। सही पाये गये अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से करा लिया जाएगा।

च– ऐसे अर्ह चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कराकर कराया जाना अनिवार्य होगा।

छ– अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जनपद के ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (उर्दू अध्यापन हेतु) के रूप में नियुक्त किया जायेगा, जहाँ उर्दू पढ़ने वाले बच्चे उपलब्ध हों।

11– ऑनलाइन ई–आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण/संशोधन– अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ई–आवेदन पत्र में निर्धारित तिथियों के मध्य प्रथम वरीयता जनपद, अभ्यर्थी के नाम एवं वर्ग को छोड़कर अन्य प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा।

12– 4000 सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु अन्य अर्हता/शर्तें उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–1981(यथा संशोधित) एवं अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवा नियमावली–2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुरूप होगी।

26/12/16

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

26/12/16